

22

प्र.क्र.

1/2014 मिगरानी

R-2709 I 114

श्री. का. बा. - शर्मा, अमर  
द्वारा आज दि. 23-8-14 को  
प्रस्तुत

~~वका~~  
वका अ. 23-8-14  
राजस्व मण्डल म.प्र. खालियर

सीमाबाई पत्नी स्व. श्री शिवचरण जाति  
रघुवंशी निवासी ग्राम सरवाय, तह.  
बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.)

.....प्रार्थी

बनाम

श्रीमती रामश्री बाई पत्नी जगतसिंह  
रघुवंशी निवासी वार्ड नं. 07, गंज बासौदा,  
जिला विदिशा (म.प्र.)

....प्रतिप्रार्थी

8-14  
बा.बा. - शर्मा

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

17

प्रकरण क्रमांक - निग0 2709-एक/14

जिला - विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.9.14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानी आवेदन के तथ्य तथा प्रकरण की आदेश पत्रिका के तथ्य एक दूसरे के विपरीत हैं। आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक की आपत्ति के निराकरण हेतु प्रकरण नियत किया था। अतः इस निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। आवेदक सूचित हों प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p>प्रशा0 सदस्य</p>